प्र.सं. 123 / वाद / प्र.पत्र / 2023

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
/12/23	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक समय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज. कार्यवश बाहर दौरे पे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्ठोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 29/1/24 को पेश हो	
29/01/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० मौका रिपोर्ट अप्राप्त। पुन: TQR को लिखा जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार मौका रिपोर्ट दिनांक 15/2/24 को पेश हो।	
15/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। मौका रिपोर्ट अप्राप्त। पुन: TQR को लिखा जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार मौका रिपोर्ट दिनांक 29/2/24 को पेश हो।	
29/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। रिपोर्ट TQR प्राप्त। पत्रावली वास्ते बहस एवं आदेश दिनांक 12/3/24 को पेश हो।	
9/3/24	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुना० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या 01

राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या 01
सिवि... ...न्यायिक
मजिस्ट्रेट तालेडा (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

राष्ट्रीय लोक अदालत मार्च 2024

मिसल नं0 123/प्रा0पत्र/2023 | तारीख दायर 04.10.2023 | तारीख फैसला 09.03.2024

हरीशचन्द्र उम्र 74 वर्ष आत्मज सुंदरलाल जाति दर्जी निवासी हनुमान मंदिर के सामने सीन्ता तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।

......प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थियाः— श्री अखिलेश जैन, भागचंद मालव।
अधिवक्ता अप्रार्थीः— पेरोकार सरकार

— : : निर्णय : : —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 136 भू—राजस्व अधिनियम

प्रा0पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार व कब्जे की कृषि भूमि खाता संख्या नया 160 पुराना 147 खसरा संख्या 505 रकबा 0.3462 हैक्टेयर, खसरा संख्या 506 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, खसरा संख्या 560 रकबा 0.3339 हैक्टेयर, खसरा संख्या 561 रकबा 0.3399 हैक्टेयर खसरा संख्या 73 रकबा 0.2023 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.4325 हैक्टेयर वाके ग्राम सीन्ता पटवार हल्का सीन्ता तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में स्थित है। प्रार्थी वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का अंकित नाम हरीशचन्द्र की जगह घर का बोलता नाम भैरू लाल गलत दर्ज हो गया है। क्योंकि फौती इंतकाल खोलते समय किसी के द्वारा प्रार्थी का घर का बोलता नाम भैरू लाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया जो कि अभी भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है। जिसकों दुरूस्त करवाया जाना प्रार्थी के हित में अति आवश्यक एवं जरूरी है। क्योंकि प्रार्थी का नाम किसी भी पहचान के दस्तावेज में भैरूलाल नही हो रहा है। इस कारण से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम भैरू लाल को सही करवाना प्रार्थी के लिये अति आवश्यक है ताकि आगे प्रार्थी को किसी भी प्रकार की असुविधा पैदा न हों। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में संवहन एवं गलती से फौती इंतकाल खुलवाते समय अज्ञानतावश प्रार्थी के परिवार के पुरूष सदस्यगण द्वारा गलत दर्ज करवा दिया गया है। प्रार्थी के समस्त पहचान दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली के बिल, आधार कार्ड आदि में सही नाम हरीशचन्द्र दर्ज हो रहा है। प्रार्थी अपने हस्ताक्षर भी सही एवं वास्तविक नाम हरीशचन्द्र के नाम से ही करता है। प्रार्थी द्वारा कई बार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित गलत नाम भैरूलाल को विलोपित कर सही नाम दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का सीन्ता को मौखिक रूप से अवगत करवाया तथा सही नाम के दस्तावेज भी उपलब्ध करवाये गये किन्तु पटवारी द्वारा टालम टोल करके उक्त कार्य को नही किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त प्रकार का संशोधन होना प्रार्थी के हित में अति आवश्यक है क्योंकि उक्त राजस्व रिकॉर्ड की गलती की वजह से प्रार्थी को काफी परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड रहा है एवं पार्थी को अपने खाते की भूमि पर केन्द्र एवं राज्य सरकार से मिलने वाली विभिन्न योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड रहा है जिससे प्रार्थी को शारिरिक एवं मानसिक संताप लगातार पहुंच रहा है। प्रार्थी अंतिम रूप से दिनांक 16.09.2023 को अप्रार्थी के कार्यालय में गया और प्रार्थी ने अप्रार्थी से मौखिक रूप से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अपना नाम भैरू लाल को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी ने प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने के लिए मना कर दिया जो की वाद का कारण है एवं निरन्तर जारी है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी को निर्देशित किया जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों वाके ग्राम सीन्ता पटवार मण्डल सीन्ता तहसील तालेडा जिला बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अशुद्ध व गलत नाम भैरू लाल को हटाकर विलोपित फरमाकर प्रार्थी के पहचान के दस्तावेजात व अन्य दस्तावेज आदि के आधार पर सही एवं वास्तविक नामा हरीशचन्द्र राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे ताकि प्रार्थी को आगे भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा व परेशानी पैदा न हों।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड खाता संख्या नया 160 पुराना 147 खसरा संख्या 505 रकबा 0.3462 हैक्टेयर, खसरा संख्या 506 रकबा 0.

1862 हैक्टेयर, खसरा संख्या 560 रकबा 0.3339 हैक्टेयर, खसरा संख्या 561 रकबा 0.3399 हैक्टैयर खसरा संख्या 73 रकबा 0.2023 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.4325 हैक्टेयर वाके ग्राम सीन्ता पटवार हल्का सीन्ता में खातेदार भैरू लाल नाम दर्ज रिकॉर्ड है।। मौका अनुसार ग्राम सीन्ता में जांच की गई एवं प्रार्थिया के दस्तावेज की जांच की गई। मुताबिक दस्तावेज प्रार्थी का नाम हरीशचन्द्र दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान् इस नाम और वल्दियत की अन्य कोई व्यक्ति इस ग्राम में निवास नही करता है। ये दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। तहसीलदार तालेडा ने नाम संशोधन की अनुशंषा की है। पेरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार भैरू लाल को हरीशचन्द्र करने की अनुशंषा की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं अवगत कराया कि राजस्व रेकार्ड में घर वालो एवं राजस्व कार्मिको के द्वारा संवहन व गलती से फोती नामान्तकरण के समय प्रार्थी का नाम घर में बोले जाने वाले नाम भैरू लाल ही अंकित कर दिया था जो कि आज तक राजस्व रेकार्ड में अंकित चला आ रहा है। जिसको दुरूस्त किया जाना प्रार्थी के हित में एवं न्याय के हित में अति आवश्यक है।

पेरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार नाम संशोधन किये जाने की अनुशंषा की गई।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी संवत 2076 खाता संख्या नया 160 पुराना 147 खसरा संख्या 505 रकबा 0.3462 हैक्टेयर, खसरा संख्या 506 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, खसरा संख्या 560 रकबा 0.3339 हैक्टेयर, खसरा संख्या 561 रकबा 0.3399 हैक्टैयर खसरा संख्या 73 रकबा 0.2023 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.4325 हैक्टेयर वाके ग्राम सीन्ता पटवार हल्का सीन्ता के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जमाबन्दी में भैरू लाल पुत्र सुन्दर लाल ही अंकित है। किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड सं0 2962 9398 7848 का अवलोकन करने एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि भैरू लाल एवं हरीशचन्द्र एक ही व्यक्ति है एवं दौराने रेकार्ड में अगल दरागद प्रार्थी के परिवारजन द्वारा प्रार्थी का नाम बोलते नाम पर भैरू लाल अंकित करवा दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम हरीशचन्द्र था। मौका रिपोर्ट अनुसार भी भैरू लाल एवं हरीशचन्द्र नाम का ग्राम सीन्ता में एक ही व्यक्ति होना अंकित किया गया है जिसकी वल्दियत एक हो। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में 2076 खाता संख्या नया 160 पुराना 147 खसरा संख्या 505 रकबा 0.3462 हैक्टेयर, खसरा संख्या 506 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, खसरा संख्या 560 रकबा 0.3339 हैक्टेयर, खसरा संख्या 561 रकबा 0.3399 हैक्टैयर खसरा संख्या 73 रकबा 0.2023 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.4325 हैक्टेयर वाके ग्राम सीन्ता पटवार हल्का सीन्ता पटवार हल्का सीन्ता मे प्रार्थी का नाम भैरू लाल पुत्र सुन्दर लाल के स्थान पर भैरू लाल उर्फ हरीशचन्द्र पुत्र सुन्दर लाल संशोधित किया जावे शेष इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या.....01.........

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या....01..........
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट तालेडा (बून्दी)